

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-49/2024-25

किस्टो पंडित

बनाम्

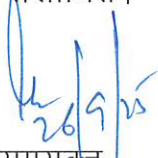
सनत भगत वगैरह

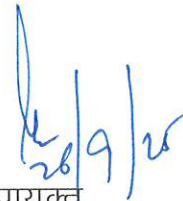
—: आदेश :—

अपीलकर्ता एवं उत्तरवादीगण कई तिथियों में पुकार पर अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष को इस अपील वाद में अभिरुचि नहीं रह गया है।

अतः (Code of Civil Procedure, 1908) के XLI Rule 17(1) के तहत वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।